न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 21/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दौलत राम पुत्र मनफूल राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 2. रामनारायण पुत्र मनफूल राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 3. नारायणी देवी पत्नी मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 4. विश्वजीत पुत्र मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 5. सुर्यदीप पुत्र मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 6. हरी राम पुत्र मनफूल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।		1. आदू राम पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 2. इन्द्राज पुत्र खेता राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 3. कृष्ण पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 4. गोपी राम पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 5. रजो देवी पत्नी सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 6. राजपाल पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 7. राम लाल पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 8. रामेश्वर पुत्र खेता राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 9. अर्जुन सिंह पुत्र गुरदित सिह निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 10. गुरदिता सिंह पुत्र उतम सिंह निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 11. दलजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 12. दलीप पुत्र रामचन्द निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 13. बनवारी लाल पुत्र रामचन्द निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 14. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 15. राजेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर 16. राम कुमार पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 17. हरी राम पुत्र रामचन्द निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 18. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख रजि. 22.02.202[illegible]

उपस्थितः 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9, 10
3. श्री सतीश कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12
4. श्री मनीष कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11
5. श्री कृष्ण कुमार परूथी प्रतिवादी संख्या 14, 15

दिनांकः 08.06.2023

--निर्णय--

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अधिकारी (राजस्व) ... गंगानगर
सत्यमेव जयते

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 8/7 में कुल 13.4060 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि मय खाला व राजस्व ग्राम चक 37 एच, पटवार हल्का नग्गी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 75/67 में 13.1520 हैक्टर बारानी भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। चक 34 एच के खाता संख्या 8/7 के मुरब्बा नं0 68 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 2 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 3 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 4 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 7 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 8 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 9 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 10 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 11 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 12 के 0.253 हैक्टर व किला नं0 13 के 0.157 हैक्टर प-िचम हिस्सा **कुल रकबा 2.687 हैक्टर** नहरी भूमि पर व चक 37 एच के खाता संख्या 75/67 के मुरब्बा नं0 72 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 10 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 11 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 20 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 21 के 0.253 हैक्टर व किला न0 22 के 0.159 पश्चिम हिस्सा कुल रकबा 1.424 हैक्टर बारानी भूमि दोनो खातो का **कुल रकबा** 4.111 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि मुझ वादी संख्या 1 के कब्जा व काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, वादी संख्या 1 को उपरोक्त किलाजात की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित है। चक 34 एच के खाता संख्या 8/7 के मुरब्बा नं0 68 के किला नं0 5 के 0.228 हैक्टर, किला नं0 6 के 0.227 हैक्टर, किला नं0 13 के 0.096 हैक्टर दक्षिण हिस्सा, किला नं0 14 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 15 के 0.227 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं0 111/9 के किला नं0 0 के 0.076 हैक्टर खाला कुल रकबा 1.107 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि मुझ वादी संख्या 2 के कब्जा व काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, वादी संख्या 2 को उपरोक्त किलाजात की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित है। चक 34 एच के खाता संख्या 8/7 के मुरब्बा नं0 51 के किला नं0 11 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 12 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 13 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 14 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 15 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 16 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 17 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 18 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 19 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 20 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 21 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 22 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 23 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 24 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 25 के 0.252 हैक्टर नहरी भूमि कुल रकबा 3.794 हैक्टर नहरी भूमि वादी संख्या 3, 4, 5 के कब्जा व काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, वादी संख्या 3, 4, 5 को उपरोक्त किलाजात की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित है। चक 37 एच के मुरब्बा नं0 72 के किला नं0 2 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 9 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 12 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 18 के 0.152 हैक्टर पश्चिम हिस्सा, किला नं0 19 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 22 के 0.094 हैक्टर पूर्वी हिस्सा, किला नं0 23 के 0.151 हैक्टर प-िचम हिस्सा बारानी कुल रकबा 1.409 हैक्टर बारानी भूमि पर वादी संख्या 4, 5 के कब्जा व का-त में चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, वादी संख्या 4, 5 को उपरोक्त किलाजात की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना [illegible] है। चक 37 एच के खाता संख्या 75/67 के मुरब्बा नं0 72 के किला नं0 3 के 0.152 [illegible] हिस्सा, किला नं0 8 के 0.152 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, किला नं0 23 के 0.152 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 0.456 हैक्टर बारानी भूमि मुझ वादी संख्या 6 के कब्जा व काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित किलाजात की भूमि का जोत विभाजन करवाकर, वादी संख्या 6 [illegible] उपरोक्त किलाजात की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किया जाना न्यायोचित है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व गांव के सदस्य है, जिन्होने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति से पारिवारिक बन्दोबस्त के अनुसार विभाजन कर रखा है, लेकिन कब्जा के अनुसार उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:41 IST
Reason: SelfAttested

हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि राजस्व अभिलेख में कब्जानुसार दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर, कब्जा काश्त मुताबिक डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 13, 16/1, 16/2, 16/3, 17 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह, प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा, प्रतिवादी संख्या 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 11 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 37 एच की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 75/67 के मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 1,2,3,4,7,8,9 प्रत्येक सालम-सालम व किला नम्बर 10 के 0.150 हेक्टैयर, किला नम्बर 9 के साथ चिपता हुआ पूर्वी हिस्सा बारानी कुल 1.921 हेक्टैयर भूमि का मुझ प्रतिवादी के नाम खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 37 एच की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 10 की 0.100 हेक्टैयर, किला नम्बर 11 की 0.253 हेक्टैयर भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी संख्या 9 अर्जुन सिंह के नाम व मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 12,13,19,20 सालम-सालम भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी संख्या 10 गुरादिता सिंह के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 37 एच के मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 प्रत्येक के पश्चिम में 0.157 हेक्टैयर, किला नम्बर 25 की 0.159 हेक्टैयर व किला नम्बर 7,4,14,17 प्रत्येक के पूर्व हिस्सा में 0.062 हेक्टैयर, किला नम्बर 24 की 0.061 हेक्टैयर कुल 1.096 हेक्टैयर बारानी भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी संख्या 14 मनोज कुमार के नाम व चक 37 एच के मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 4,7,14,17 प्रत्येक के पश्चिम हिस्से की 0.191 हेक्टैयर, किला नम्बर 24 की 0.192 हेक्टैयर, किला नम्बर 3,8,13,18,23 प्रत्येक के पूर्व हिस्सा की 0.101 हेक्टैयर भूमि कुल 1.461 हेक्टैयर बारानी भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी संख्या 15 राजेश कुमार के नाम अगल से कायम किए जाने के आदेश फरमाये जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 17 का नाम हटाए जाने के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर [illegible] वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बा[illegible] एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। [illegible] भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जा[illegible] उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की ग[illegible] 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 75/67 के मुरब्बा नम्बर 72, 88, 89 की कुल 13.152 हेक्टैयर भूमि, चक 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी के खाता संख्या 8/7 के मुरब्बा नम्बर 42, 51, 68, 111/9 की कुल 13.406 हेक्टैयर भूमि में वादी संख्या 1 दौलत राम के नाम 4.112 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 रामनारायण के नाम 1.107 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 नारायणी देवी के नाम 2.529 हेक्टैयर, वादी संख्या 4 विश्वजीत के नाम 1.346 हेक्टैयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:41
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 5 सूर्यदीप के नाम 1.343 हेक्टैयर, वादी संख्या 6 हरीराम के नाम 0.440 हेक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 अर्जुन सिंह के नाम 0.354 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 10 गुरादिता सिंह के नाम 1.012 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 11 दलजीत कौर के नाम 1.922 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 14 मनोज कुमार के नाम 1.096 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 15 राजेश कुमार के नाम 1.096 हेक्टैयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9,10,11,14,15 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 9,10,11,14,15 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 9,10,11,14,15 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 75/67 के मुरब्बा नम्बर 72, 88, 89 की कुल 13.152 हेक्टैयर भूमि, चक 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी के खाता संख्या 8/7 के मुरब्बा नम्बर 42, 51, 68, 111/9 की कुल 13.406 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	दौलत राम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(1.424है.)	37 एच	72	1	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				10	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				11	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				20	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				21	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				22/1	0.159 हेक्टैयर	बागानी	0.33
2	सुर्यदीप पुत्र मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर (1.409है.)	37 एच	72	02	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				09	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				12	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				18/1	0.152 हेक्टैयर	बागानी	0.32
				19	0.253 हेक्टैयर	बागानी	0.53
				22/2	0.094 हेक्टैयर	बागानी	0.20
				23/1	0.1[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	हरी राम पुत्र मनफूल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर (0.456 है.)	37 एच	72	3/1	0.152 हेक्टैयर	[illegible]	[illegible]
				8/1	0.1[illegible]	[illegible]	[illegible]
				13/1	0.1[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(1.096है.)	37 एच	72	5/1	0.157 हेक्टैयर	बागानी	[illegible]
				6/1	0.157 हेक्टैयर	बागानी	0.33
				15/1	0.157 हेक्टैयर	बागानी	0.33
				16/1	0.157 हेक्टैयर	बागानी	0.33
				25/1	0.159 हेक्टैयर	बागानी	0.33
				4/1	0.062 हेक्टैयर	बागानी	0.13

अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:41 IST
Reason: SelfAttested

5	राजेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(1.461है.)	37 एच	72	7/1 14/1 17/1 24/1 3/2 8/2 13/2 18/2 23/2 4/2 7/2 14/2 17/2 24/2	0.062 हेक्टैयर 0.062 हेक्टैयर 0.062 हेक्टैयर 0.061 हेक्टैयर 0.101 हेक्टैयर 0.101 हेक्टैयर 0.101 हेक्टैयर 0.101 हेक्टैयर 0.102 हेक्टैयर 0.191 हेक्टैयर 0.191 हेक्टैयर 0.191 हेक्टैयर 0.191 हेक्टैयर 0.191 हेक्टैयर	बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी	0.13 0.13 0.13 0.13 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
6	अर्जुन सिंह पुत्र गुरदित सिह निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(0.354है.) गुरदिता सिंह पुत्र उतम सिंह निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(1.012है.)	37 एच	89	10/1 11 ता 13 19, 20	0.101 हेक्टैयर 0.759 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर	बारानी बारानी बारानी	0.21 1.59 1.06
7	दलजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(1.923है.)	37 एच	89	1 ता 4 7 ता 9 10/2	1.012 हेक्टैयर 0.759 हेक्टैयर 0.152 हेक्टैयर	बारानी बारानी बारानी	2.12 1.59 0.32
8	दौलत राम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(2.687है.)	34 एच	68	1 ता 4 7 ता 10 11, 12 13	1.012 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 0.157 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	2.12 2.12 1.06 0.33
9	रामनारायण पुत्र मनफूल राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(1.107है.)	34 एच	68 111/9	5 6 13 14 15	0.228 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.096 हेक्टैयर 0.253 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.076 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.62 1.62 0.68 1.80 1.62 0.0
0	नारायणी देवी पत्नी मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(2.529है.) विश्वजीत पुत्र मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर(0.633है.) सुर्यदीप पुत्र मोहन लाल निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (0.632है.)	34 एच	51	11 ता 25	3.794 हेक्टैयर	नहरी	26.99
1	आदू राम पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (0.485 है.) इन्द्राज पुत्र खेता राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (1.454 है.) कृष्ण पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (0.485 है.) गोपी राम पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री	34 एच	42 51	13 ता 25 1 ता 10	3.288 हेक्टैयर 2.630 हेक्टैयर	बारानी बारानी	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:41 IST
Reason: SelfAttested

करणपुर (0.485 है.)						
रजो देवी पत्नी सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (0.485 है.)						
राजपाल पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (0.485 है.)						
राम लाल पुत्र सही राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (0.485 है.)						
रामेश्वर पुत्र खेता राम निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर (1.454 है.)						

खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verif

Digitally signed by Subh
Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:
Reason: SelfAttested